

- 01- श्रीमती वंदना जैन, विशेष न्यायाधीश शिवपुरी
- 02- श्री विवेक शर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 03- श्रीमती दीपाली शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 04- श्री विधान माहेश्वरी, तृतीय जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 05- श्री आर.बी. गुप्ता, चतुर्थ जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 06- श्री विवेक पटेल, पंचम जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 07- श्री अमित कुमार गुप्ता, सप्तम जिला न्यायाधीश शिवपुरी।
- 08- श्री प्रदीप कुशवाह, प्रथम जिला न्यायाधीश करैरा।
- 09- श्री डी.एल. सोनिया, द्वितीय जिला न्यायाधीश करैरा।
- 10- श्री महेश कुमार वर्मा, तृतीय जिला न्यायाधीश करैरा।
- 11- श्री आर.एम. भगवती, जिला न्यायाधीश पिछोर।
- 12- श्री हरिओम अतलसिया, अति. जिला न्यायाधीश पिछोर।
- 13- श्री सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी।
- 14- श्री जितेन्द्र मेहर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
- 15- कु. नेहा प्रधान, प्रथम सीजे वरिष्ठ खण्ड के न्या. के अति. न्या. शिवपुरी।
- 16- श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा।
- 17- श्रीमती कमला गौतम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा।
- 18- श्रीमती श्वेता मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड करैरा।
- 19- श्री अमनदीप सिंह छाबरा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पिछोर।
- 20- श्री भूपेन्द्र तिवारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड खनियाधाना।
- 21- सुश्री आरती रतौनिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड कोलारस।
- 22- श्री अमित प्रताप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
- 23- श्रीमती रूपम तोमर, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
- 24- श्रीमती सुनीता पचौरिया, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शिवपुरी।
- 25- सुश्री मोनिका यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड करैरा।
- 26- सुश्री नेहा प्रजापति, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पिछोर।
- 27- श्री अविनाश छारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पोहरी।
- 28- सुश्री वंशिता गुप्ता, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी
- 29- सुश्री दिव्यानी सिंह, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी
- 30- सुश्री इतीशा संघवी, प्रशिक्षू न्यायाधीश शिवपुरी।
- 31- निज सहायक, न्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी।

विषय :- वित्तवर्ष 2024-25 में आयकर कटोत्रा कराये जाने बाबत।

—00—

यथानिर्देशित उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में आप प्रतिमाह वेतन से आयकर के रूप में कितनी राशि का कटोत्रा कराना चाहते हैं इस संबंध में लिखित जानकारी **दिनांक 18.03.2024** तक प्रत्येक स्थिति में कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी माह मार्च पैड अप्रैल-24 के वेतन से नियमानुसार आयकर कटोत्रा किया जा सके।

कृते. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।